



Ref. सं० / AUVU014 / MGGAU / 2023-2024 / 2024-2025 /

Date:.....

—: सम्बद्धता आदेश :-

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत असाधारण गजट संख्या-420/79-वि-1-20-1(क)-8-2020 लखनऊ दिनांक-12.03.2020 एवं संशोधित असाधारण गजट संख्या-348/79-वि०-1-21-1-क-3-21 दिनांक-05.03.2021 द्वारा निर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर के अधिनियम-2021 के अध्याय-2 की धारा-5(घ) व अध्याय-5 की धारा-28 के क्रम में कालेज कोड-AUVU014 शम्मे गौसिया माइनारिटी यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, नन्दगंज, सहेड़ी, गाजीपुर द्वारा सम्बद्धता हेतु किये गये आनलाइन आवेदन के क्रम में निरीक्षण समिति के आख्या दिनांक-13.03.2024 में किये गये संस्तुति एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किये गये मान्यता के आधार पर मा० कुलपति जी के आदेशानुसार मा० कार्य परिषद के सहमति की प्रत्याशा में निम्नलिखित पाठ्यक्रम के संचालनार्थ सत्र 2023-2024 हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाता है-

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या
1	बी० यू० एम० एस०	60 सीट

सम्बद्धता की शर्तें-

1. संस्था/महाविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर दिये गये मानकों/निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था/महाविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित सीट पर ही तथा प्रवेश अनुमति के बिना महाविद्यालय में प्रवेश नहीं किया जायेगा।
3. संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश/विश्वविद्यालय के संविधिक निकाय के निर्गत आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।
4. संस्था/महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत परिनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा।
5. संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लिया जायेगा तथा आयुष महाविद्यालय में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. संस्था/महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार निर्धारित समयान्तर्गत सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों/उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन करेंगे।
7. संस्था/महाविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से समय-समय पर निर्गत किये गये मानकों/निर्देशों/आदेशों का अनुपालन एवं मानकों की पूर्ति किये जाने की सूचना शपथ पत्र पर समय से प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय के कुलसचिव को प्रेषित किया जायेगा।

/

(अजीत कुमार जायसवाल)
कुलसचिव

(१)

संख्या- 1340, /सं0 /AUVU014 / MGGAU / 2023-2024 / 2024-2025

दिनांक- 19/02/25

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, प्लॉट नं0-टी-19 प्रथम व द्वितीय तल, ब्लॉक-4 धन्वन्तरी भवन, रोड नं0-66, पंजाबी बाग (पश्चिम) नई दिल्ली 110026
3. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, आयुष विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. निदेशक, यूनानी सेवाएँ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. परीक्षा नियंत्रक, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
- ✓ 7. प्रधानाचार्य/संचालक, शम्भे गौसिया माइनारिटी यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल, नन्दगंज, सहेड़ी, गाजीपुर।
8. निजी सचिव, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

(अजीत कुमार जायसवाल)
कुलसचिव